# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 1826/2018 गायत्री वरमेन्दु बनाम सरकार व अन्य में माननीय अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांकः– 18.07.2018 के द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 19.06.18 का क्रियान्वयन अपील के आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाने कारण याचिका में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन श्रीमति गायत्री वरमेन्दु प्रधानाचार्य राबाउमावि, गंगापुरसिटी सवाईमाधोपुर में एवं चंचल पाण्डे प्रधानाचार्य को राउमावि तिसाई–डग झालावाड में राज्य एवं छात्र हित में पदस्थापित किया जाता हैं ।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/कोर्ट केस/बी–2/अपील–18[illegible] दिनांक– 07/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को सम्बन्धित पृष्ठांकितों को ईमेल हेतु ।
3. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)जयपुर/नागौर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित अधिकारी
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/अपील सं 477/प्रधानाचार्य/भीम सिंह/2018 दिनांक 14.06.2018 द्वारा श्री भीम सिंह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य–उमावि एवं समकक्ष, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय भरतपुर का स्थानान्तरण प्रधानाचार्य राउमावि–बीडा, सम जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री भीम सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 1679/2018 श्री भीम सिंह बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1679/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2018 द्वारा अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर न्यायहित में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अत्यधिक दूर जैसलमेर जिले में किये जाने के तथ्यों एवं उसकी व्यक्तिगत कठिनाईयों के मद्देनजर अपीलार्थी के प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 31.07.2018 तक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उक्त अभ्यावेदन को दिनांक 20.08.2018 तक एक सकारण आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री भीम सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने माता–पिता के मधुमेह रोग से पीडित होने, स्थानान्तरित स्थान के करीब 900 किमी दूर होने एवं स्वयं के स्वास्थ्य के खराब रहने के चलते अपना पदस्थापन भरतपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

प्रार्थी श्री भीम सिंह से सम्बन्धित अभिलेखों का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाऐं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष (जोब चार्ट के अनुसार) राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री भीम सिंह का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना में राउमावि–बीदा, सम, जैसलमेर में प्रधानाचार्य के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/भीम सिंह/अपील/1679/2018** दिनांक 07.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर/जोधपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर/जैसलमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री पुष्कर दयाल शर्मा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामोद, चौमू, जयपुर का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर राउमावि–रामबास अलवर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री पुष्कर दयाल द्वारा माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 751/2018 पुष्कार दयाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई। उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थी के अभ्यावेदन को सकारण स्पीकिंग ऑर्डर से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया।

प्रार्थी श्री पुष्कर दयाल शर्मा द्वारा उक्त अभ्यावेदन के खारिज किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 16925/2018 श्री पुष्कर दयाल शर्मा बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में श्री पुष्कर दयाल शर्मा माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामोद, चौमू, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे एवं श्री श्रवण कुमार सन्त प्रधानाचार्य का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबास, अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 11.08.2018 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

**(नथमल डिडेल)**
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/पुष्कर दयाल/16925/2018** **दिनांक** 07.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/अलवर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कर्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री दामोदर प्रसाद तिवाडी प्रधानाचार्य राउमावि–गणपति नगर जयपुर का स्थानान्तरण राआउमावि–मिल्सवा भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री तिवाडी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 749/2018 श्री दामोदर प्रसाद तिवाडी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2018 द्वारा प्रार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को उक्त अभ्यावदेन को सकारण स्पीकिंग ऑर्डर से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2018 द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया। उक्त अभ्यावेदन को खारिज किये जाने के उपरान्त प्रार्थी श्री दामोदर प्रसाद तिवाडी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सं 14903/2018 दामोदर प्रसाद तिवाडी बनाम सरकार व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2018 द्वारा याचिका को निस्तारित करते हुए इसे माननीय अपील अधिकरण जयपुर को सुपुर्द किया।

प्रार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष पुनः एक अन्य अपील सं. 2541/2018 दामोदर प्रसाद तिवाडी बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 एवं विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2018 का कियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के आगामी आदेशों के अध्याधीन श्री दामोदर प्रसाद तिवारी राउमावि–गणपति नगर जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगें एवं श्रीमती करूणा रावत को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि रतनपुरा एल.ए.–आसीन्द, भीलवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 11.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/दामोदर तिवारी/2541/2018** दिनांक 07.08.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर/अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को पाबन्द कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)